न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 62/2023

उनवान

मांगीलाल पुत्र नाराण जाट निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– हरजी पिता नारायण जाट निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
2– देवकिशन पिता नन्दा गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री त्रिलोक चंद नौलखा : अधिवक्ता प्रार्थी
श्री योगेन्द्र सिंह भाटी : अधिवक्त विपक्षी सं0 01

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 23.06.2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षी के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **माताजी का खेड़ा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1193/849 रकबा 0.28 है0, 849/1048 रकबा 0.22 है0** कुल किता **2** रकबा **0.50** हैक्टेयर का **प्रार्थी खातेदार** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी पड़ौसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। **प्रार्थी** अपनी आराजियात की मेड़ों से घास काटते समय विपक्षीगण विवाद करते है एवं आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः प्रार्थी की पैरा सं0 01 में वर्णित आराजियात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की आराजियात के चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना या बनाये जाने का आदेश बक्षावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षी** को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 31.05.2023 को **विपक्षी से0 02** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी एवं विपक्षी सं0 01 की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण वास्ते विपक्षी सं0 01 के जवाब प्रस्तुत करने के नियत किया जाकर पेशी दिनांक 20.06.2023 नियत की गयी। दिनांक 06.06.2023 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई हेतु निवेदन किया जिसकी नकल अभिभाषक विपक्षी सं0 01 को उपलब्ध करवाई गयी। पत्रावलनी सीगे से तलब की जाकर प्रकरण में सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 12.06.2023 नियत की गयी। दिनांक 12.06.2023 को विपक्षी सं0 01 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अभिभाषक प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाकर प्रकरण वास्ते बहस के नियत किया गया। दिनांक 20.06.2023 को प्रकरण में बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी। प्रकरण वास्ते निर्णय के दिनांक 23.06.2023 को नियत किया गया।

बहस में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है। जमाबंदी की नकल प्रस्तुत है। विपक्षी का प्रार्थी की आराजी पर नाजायज कब्जा हो आये दिन मौके पर विवाद करता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावे। अभिभाषक विपक्षी सं0 01 ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम माताजी का खेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1193/849 एवं 849/1048 साबिक खसरा नम्बर 482/2 ख से बने है। एवं उक्त आराजी खसरा सं0 482/2 ख जवाबदार विपक्षी सं0 01 हरजी पिता नारायण जाट के खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार प्रार्थी मांगी लाल खातेदार काश्तकार नहीं है बल्कि जवाबदार हरजी पिता नारायण जाट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजियात पर शुरू से ही विपक्षी सं0 01 का कब्जा रहा है एवं प्रार्थी पत्थरगढी की आड में उक्त आराजियात पर कब्जा करने की नियत से पत्थरगढी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ताकि पत्थरगढी मौका पर्चा में विपक्षी का कब्जा दिखाकर कब्जेयाबी हेतु दाव प्रस्तुत कर सके। उक्त आराजियात पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर काश्त नहीं होने एवं खातेदारी में नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। इसके विरोध में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी सं0 01 द्वारा प्रस्तुत साबिक जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 में आराजी सं0 482/2 के साथ ख का अंकन स्पष्ट नहीं है एवं कूटरचित प्रतीत होता है। विपक्षी सं0 1 द्वारा 2 बीघा जमीन खरीदी गयी जिसका विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में इंतकाल नम्बर 749 दिनांक 23.06.84 अनुसार आराजी नम्बर 482/2 रकबा 2 बीघा हरजी पिता नारायण जाट सा0देह के नाम स्वीकृति हुई का अंकन है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा जितनी जमीन खरीदी गयी वो ही उसके खाते में दर्ज हो चुकी है। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त साबिक आराजी नम्बर 482/2 रकबा 2 बीघा के नवीन नम्बर 847 रकबा 0.50 है0 जो विपक्षी सं0 01 हरजी पिता नारायण जाट के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार साबिक रेकार्ड अनुसार जो भूमि विपक्षी के खाते में दर्ज थी वह वर्तमान में भी विपक्षी के खाते में दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी से विपक्षी का कोई संबंध नहीं है। अतः प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

किया जाकर पत्थरगढी के आदेश फरमावें। इसके विरोध में अभिभाषक विपक्षी सं0 01 ने काउण्टर किया कि विपक्षी के आराजी नम्बर 847 साबिक आराजी नम्बर 482/2 से बना है न कि 482/2 ख से, 482/2 ख साबिक रेकार्ड अनुसार विपक्षी सं0 01 के खाते में दर्ज थी अतः विपक्षी रेकार्डेड खातेदार होकर कब्जेदार है अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे।

बहस पर मनन, प्रकरण एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम माताजी का खेड़ा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदारी में** दर्ज में है। विपक्षी सं0 01 द्वारा प्रस्तुत साबिक जमाबदी संवत् 2041 से 2044 की फोटोप्रति का अवलोकन किया गया हरजी पिता नारायण जाट सादेह खातेदार के नाम कॉलम सं0 5 में 482/2 अंकित है किन्तु **'ख'** का स्पष्ट अंकन नहीं है। उक्त जमाबंदी के कॉलम सं0 6 अनुसार हरजी पिता नारायण के नाम 2 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड है। जबकि प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से साबिक आराजी नम्बर 482/2 ख रकबा 10 बीस्वा अंकित होकर नवीन आराजी नम्बर 849/1048 रकबा 0.22 है0 बने है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत साबिक जमाबंदी संवत् 2036 से 39 के अवलोकन से इंतकाल नम्बर 749 दिनांक 23.06.84 के अनुसार विपक्षी सं0 01 हरजी पिता नारायण जाट के साबिक आराजी नम्बर 482/2 रकबा 2 बीघा दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। उक्त साबिक आराजी 482/2 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नम्बर 847 रकबा 0.50 है0 बने है जो विपक्षी सं0 01 के खातेदारी में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि साबिक जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में विपक्षी के दर्ज साबिक अराजी 482/2 रकबा 2 बीघा के बने नवीन नम्बर 847 रकबा 0.50 है0 विपक्षी की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हो चुके है। संवत् 2036 से 2039 के पश्चात बनी जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 में विपक्षी सं0 1 हरजी पिता नारायण जाट के नाम कॉलम सं0 6 में 2 बीघा भूमि का अंकन है किन्तु कॉलम सं0 5 में 482/2 के साथ **'ख'** अंकित होना स्पष्ट नहीं है। साबिक आराजी नम्बर 482/2 के बने नवीन नम्बर 847 विपक्षी के खाते में दर्ज हो चुका है तथा 482/2 ख के नवीन नम्बर 849/1048 रकबा 0.22 है0 बनते है जो वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का प्रार्थी वर्तमान जमाबंदी अनुसार खातेदार काश्तकार होकर अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। प्रस्तुत वर्तमान जमाबंदी से पत्थरगढी हेतु आवेदित आराजियात का विपक्षी सं0 01 के खातेदार काश्तकार होने की पुष्टि नहीं होती है। कब्जे एवं खातेदारी का निर्धारण इस प्रार्थना पत्र में नहीं होगा। फिर भी विपक्षी अपनी खातेदारी एवं कब्जे के संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—: आदेश :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाकर मौजा **माताजी का खेड़ा** में स्थित **प्रार्थी** की **खातेदारी** की आराजीयात **आराजी नम्बर 1193/849 रकबा 0.28 है0, 849/1048 रकबा 0.22 है0 किता 2 रकबा 0.50 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/— रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **23.06.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहयक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा